

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिक्षा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/6डी/

दिनांक 04/10/2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।

विषय - 6डी से संबंधित परिवेदनाओं के संबंध में।

पराम - एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14580/18 श्री सत्यप्रसन्न सिंह बनाम सरकार व अन्य एवं 39 याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित समेकित अन्तरिम आदेश दिनांक 26.02.2018

उपर्युक्त प्रारम्भिक विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ ने 6डी रागायोजन प्रक्रिया के संबंध में याचिकाओं द्वारा प्रस्तुत परिवेदना के सक्षम स्तर से अभ्यावेदन निरस्तारण के निर्देश दिये जाकर प्रकरण दिनांक 03.10.2018 को सुनवाई हेतु रखा है। उक्त के संबंध में परिवेदना निस्तारण हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है -

क्र.सं.	पद नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	समाजीय समुदाय निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित सम्भाग	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जिला	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, संबंधित जिला	सदस्य

परिवेदना निस्तारण हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है -

परिवेदना प्रस्तुत करने की दिनांक	परिवेदना की निस्तारण की दिनांक
04.10.2018 से 05.10.2018	04.10.2018 से 06.10.2018

उक्त के संबंध में आप संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि 6डी की कार्यवाही के संबंध में वरिष्ठता, गलत विषय/श्रेणी में पदस्थापन, पदस्थापन स्थान अथवा अन्य युक्तियुक्त कारण से समायोजित कार्मिकों की परिवेदना वास्तव प्राप्त अभ्यावेदनों को 03 दिवस के भीतर नियमानुसार एवं समय-समय पर शासन के प्रदत्त दिशा-निर्देशों के तहत परीक्षण कर अभ्यावेदन निस्तारण की कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विधि, जयपुर/जोधपुर को सूचित किया जाना सुनिश्चित करावे। परिवेदना निस्तारित अभ्यावेदन को विभागीय वेबसाइट पर उसी दिन अपलोड करावे। साथ ही उक्त विषयक प्रकरण में दायर याचिकाओं में जिरिआ मा विधि, जयपुर/जोधपुर से समन्वय रख उन्हें वांछित रिकार्ड संबंधित उच्च न्यायालय पीठ प्रभावी प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

शुभमल डिडेल् आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

शुभमल डिडेल् आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिबन्धि - निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (मुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ समुदाय विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. समुदाय विधि परामर्शी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
4. समस्त समाजीय समुदाय निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. समस्त संबंधित याचिकाओं को सूचित किया जाता है कि वे पूर्ण विवरण सहित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. मिस्टम एनालिसिस, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

www.rajteachers.com

शुभमल डिडेल्
समुदाय निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर